पीठासीन अधिकारी ...

ण संख्या :–114/2016
र्गत धारा :–53 आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

ो गोमा पुत्र छोगा औढ़ निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
ी गंगाराम पुत्र छोगा औढ़ निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
श्री रामलाल पुत्र छोगा औढ़ निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

.श्री देवा पुत्र गंभीर औढ़ निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
.श्री रूकमणी पत्नि पेमा सिरवी निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3.श्रीमति चांदी पत्नि रामा सिरवी निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 21.03.2017

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का ढोसर के आराजी संख्या 79/1 रकबा 0.1830 है0, आराजी संख्या 88/1 रकबा 0.0300है. 0,आराजी नम्बर 89/1 रकबा 0.1130 है.0,आराजी नम्बर 90/1 रकबा 0.1200 है.0, आराजी नम्बर 91/2 रकबा 0.2500 है.0,आराजी नम्बर 81/1 रकबा 0.3205 है.0 आराजी नम्बर 80/1 रकबा 0. 4570 है., कुल किता 07 रकबा 1.4735 है0 भुमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का है मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने में अडचन आती है अतः वादी का निहित 1/2 हिस्सा का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम कराया जाए जिस पर प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रतिवादी संख्या 04 पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई तथा वकीलवादी सीधी बहस करनी चाही बहस सुनी गई अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया तथा हिस्से अनुसार विभाजन कराने की सहमति व्यक्त की मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम बाघपुरा स्थित खाता संख्या 21 रकबा 0.6065 है0 कुल किता 07 रकबा 1.4735 है0 भूमिवादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका वह विभाजन करने का अधिकारी है। अतः

–: आदेश :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादी गण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम बाघपुरा के खाता संख्या 21 रकबा 1.4735 है0 में वादी को 1/2 हिस्सा पृथक कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाण्ड विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश कर डिकी पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को ... विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.03.2017 को पेश हो निर्णय आज